

न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली का कार्यवाही भवन लघुहस्ताकार जज

कार्यवाही नम्बर

21-08-23

21-08-23

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर वकूलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय / आदेश पत्रावली दिनांक 21.08.2023 को पेश हो।

(दिनेश)

21.08.2023

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर वकूलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय / आदेश पत्रावली दिनांक 21.08.2023 को पेश हो।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फॉरस्ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

21.08.2023

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकूलाय उभय पक्षकारान् की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से भेरे द्वारा लिखाया जाकर शागिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा- 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)

सहायक कलक्टर (फॉरस्ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)



न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठारीन अधिकारी - श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
07/2022	2022/011	18.01.2022	21.08.2023

1. श्रवणलाल पुत्र कालूराम जाति रेगर उम्र 60 साल निवासी ग्राम टटेरा तहसील
श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

— प्रार्थी —

बनाम

1. सुमेरसिंह यादव, क्षेत्रीय वन अधिकारी रैंज पावटा तहसील विराटनगर जिला
जयपुर राजस्थान हाल वन विभाग कार्यालय स्थित वन ग्राम टटेरा तहसील
श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
2. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

— अप्रार्थीगण —


उपस्थित : - श्री अनिल कुमार यादव एड0 प्रार्थी अभिभाषक।
श्री वजरंग लाल यादव एड0 अप्रार्थी संख्या-1 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिप्रार्थी संख्या-2



प्रार्थना पत्र स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र
अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि


दिलीप सिंह
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) राजस्थान

खसरा नम्बर 7 रकबा 0.6400 है 0 तन ग्राम टटेरा पटवार हल्का टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान मे अवस्थित है। प्रार्थी व उसके परिजन रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि से अप्रार्थी संख्या-1 का कोई सबध या सरोकार नहीं है। उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी व उसके परिजनों की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है जिस पर प्रार्थी व उसके परिजन भूमि के खातेदार काश्तकार होकर अपनी भूमि पर पूर्णतः काबिज काश्त चले आ रहे है एवं अपनी भूमि के सीव डोल कदीमी कायम कर रखी है। प्रार्थी व उसके परिजनों की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की उक्त वर्णित कृषि भूमि के सटाकर उत्तरी तरफ वन विभाग की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 6 अवस्थित है। अप्रार्थी संख्या-1 व उसके कारकुनिन्दें जोर जबरन बिना कोई विधिवत सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाये प्रार्थी व उसके परिजनों की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि की सीव डोल नष्ट करने एवं भूमि पर जोर जबरन अतिक्रमण करने एवं भूमि को खुर्द-बुर्द करने एवं वन विभाग की भूमि में अवैधानिक तरीके से खाई आदि खोदकर मिलाने पर उतारू है जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार किसी किसम का नहीं है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या -1 दिनांक 15.01.2021 को मौके पर अपने कारकुनिन्दों को साथ लेकर जे.सी.बी. मशीन लेकर आया और जोर जबरन प्रार्थी व उसके परिजनों की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पर अतिक्रमण करते हुये जे.सी.बी. मशीन से खाई खुदवाने व भूमि को खुर्द-बुर्द करने पर उतारू हो गया जिस पर प्रार्थी व उसके परिजनों ने मौके पर जाकर मना किया तो प्रार्थी व उसके परिजनों को धमकी दी कि आपकी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि को वन विभाग की जमीन में मिलाकर रहूंगा एवं विरोध करोगे तो तुम्हारे खिलाफ झूठे राजकार्य के मुकदमें लगाकर बर्बाद कर दूंगा। इस पर आस पास के मौजीज व्यक्ति आ गये तो अप्रार्थी संख्या-1 व उसके कारकुनिन्दें मौके पर जे.सी.बी. मशीन लेकर भाग गये परन्तु जाते समय धमकी देकर गये कि मौका पाकर प्रार्थी व उसके परिजनों को उनकी खातेदारी व कब्जा काश्त की




[Signature]
 दिनेश कुमार
 सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
 श्रीमाधोपुर (सीकर)

भूमि से बेदखल करके रहेंगे एवं भूमि को खुर्द-बुर्द करवाकर रहेंगे एवं भूमि को वन विभाग की भूमि में मिलाकर खाई आदि खुदवाकर रहेंगे। इसलिए माननीय अदालत में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थी व उसके परिजनों की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 7 रकबा 0.6400 है0 अवस्थित तन ग्राम टटेरा पटवार हल्का टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान की सीव डोल नष्ट नहीं करें, ना ही जबरन अतिक्रमण करे, ना ही भूमि को खुर्द-बुर्द करे, ना ही अपने कारकुनिन्दों से कराये के संबंध में अप्रार्थीगण को ता दौराने सुनवाई दावा तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने हेतु निवेदन किया।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 02 को जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित आयें एवं आगामी पेशी पर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री बजरंग लाल यादव एड0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र टी0आई0 पेश की। अप्रार्थी संख्या 2 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण को बहस में लिया गया। जिस पर वकील प्रार्थी ने बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील अप्रार्थी ने बहस सुनी जाने हेतु सहमति व्यक्त की।

वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित कथनों को बार-बार दोहराते हुए अवगत कराया कि उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि की खातेदारी प्रार्थी व उसके परिजन के नाम दर्ज रिकॉर्ड होकर खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि से अप्रार्थी संख्या-1 का कोई संबंध या सरोकार नहीं है। उक्त वर्णित कृषि




सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

भूमि प्राप्ती व उसके परिजनों की खातेदारी व कब्जा कायदा की भूमि है। जिस पर प्राप्ती व उसके परिजन भूमि के खातेदार कायदाकार होकर अपनी भूमि पर पूर्णतः काबिज कायदा चले जा रहे हैं एवं अपनी भूमि के सीव डोल कटौती कायदा कर रखी है। प्राप्ती व उसके परिजनों की खातेदारी एवं कब्जा कायदा की उक्त वर्णित कृषि भूमि के सटाकर उत्तरी तरफ वन विभाग की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 8 स्थित है। अप्राप्ती संख्या-1 व उसके कार्यकुचिन्व जौर जबरन विना कोई विधिगत सीमाज्ञान व पत्थरगद्दी करवाये प्राप्ती व उसके परिजनों की खातेदारी व कब्जा कायदा की भूमि की सीव डोल गलत करने एवं भूमि पर जौर जबरन अतिक्रमण करने एवं भूमि को खुर्द-बुर्द करने एवं वन विभाग की भूमि में अवैधानिक तरीके से खाई आदि खोदकर मिलाने पर उतारू है। जिसका अप्राप्तीगण को कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। इसलिए वकील प्राप्ती ने अप्राप्तीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन अपनी बहरा में किया है।

वही दौराने बहरा वकील अप्राप्ती संख्या 1 ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र टी0आई0 में वर्णित तथ्यों को बार-बार दोहराते हुए अग्रगत कराया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 7 रकबा 0.6400 है0 तन ग्राम टटेरा पटवार हल्का टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित होकर खातेदारी दर्ज रिकार्ड होना स्वीकार करते हुए प्राप्ती के अस्थायी प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों में कृषि भूमि खसरा नम्बर 7 की खातेदारी अप्राप्ती संख्या 1 व अन्य सह खातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है परन्तु अन्य सह खातेदारान की ओर से कोई दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही उनको दावा व प्रार्थना पत्र हाजा में पक्षकार बनाया गया है। प्राप्ती व उसके परिजन उक्त वाद व प्रार्थना पत्र की आड में वन विभाग की खातेदारी भूमि पर जबरन अतिक्रमण करना चाहते हैं। वन विभाग के कर्मचारी वन विभाग की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 8 की सुरक्षार्थ वन विभाग की भूमि की सीमा पर नियमानुसार पीलर्स व तारबन्दी आदि लगाने तथा वन विभाग की भूमि पर किये जा रहे अतिक्रमण को रोकने हेतु सुरक्षा




[Signature]
 सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
 श्रीमाधोपुर (सीकर)

करने बाबत अप्रार्थी को पूर्ण अधिकार होने व प्रार्थी द्वारा जिसकी सहायता का कोई अधिकार नहीं होने से प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है ना ही प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का समुत्पन्न ही है ना ही किसी प्रकार की छति होने की सम्भावना है बल्कि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का समुत्पन्न अप्रार्थी के पक्ष में पूर्णतः साबित है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रथम दृष्टया ही पोषणीय नहीं होकर खारिज होने योग्य है। वन विभाग की खातेदारी भूमि की सुरक्षा करने व वन विभाग की भूमि की सीमा पर नियमानुसार फेंकर व तारबंदी आदि करने का अप्रार्थी को पूर्ण अधिकार है जिसका सहायता का प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वाद व प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर दस्तावेज राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात् का अवलोकन किया। हमने वक्तुलाय समय प्रश्नकारण की बहान पर सगौर मनन किया। जिसमें राजस्व रिकार्ड ग्राम टटेरा तहसील श्रीनाथपुर की जमाबन्दी वर्तमान खतोनी खाता संख्या 211 जिसने दर्ज भूमि खसरा नम्बर 7 रकबा 0.6400 हैक्टर की खातेदारी प्रार्थी व प्रार्थी के परिजन के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्त भूमि के उत्तरी तरफ भूमि खसरा नम्बर 8 रकबा 9.50 हैक्टर किस्म चारागाह दर्ज होकर खातेदारी वन विभाग राजस्थान सरकार के नाम से दर्ज होना प्रकट होता है। जिसमें अप्रार्थी वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के लगती हुई वन विभाग की भूमि के चारों ओर बिना सीमाज्ञान करवाये व बिना पत्थरगढी करवाये अवैधानिक रूप से खाई आदि खोदकर उक्त भूमियों को आपस में मिलाये जाने पर आमादा होना प्रकट होता है। जिससे प्रार्थी की खातेदारी भूमि में मजाहमत होना प्रकट होता है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी शुदा भूमि बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा प्रमुख तीन बिन्दु कमरा :-


21/08/21
दिलीप सिंह
सहायक कमिश्नर (फास्ट ट्रेक)
श्रीनाथपुर (सीकर)



1. प्रथम दृष्टवा मामला
2. सुविधा का सन्तुलन
3. अपूरणीय क्षति

1. प्रथम दृष्टवा मामला :- चूंकि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित खसरा नम्बर 7 रकबा 0.6400 हैक्टर तन् ग्राम टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर सीकर प्रार्थी के खातेदारी में 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड होना प्रमाणित होता है। खातेदारीशुदा भूमि दर्ज होने से प्रार्थी का प्रथम दृष्टवा मामला बनना प्रकट है। उक्तानुसार उक्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।
2. सुविधा का सन्तुलन :- चूंकि प्रथम दृष्टवा मामला प्रार्थी के पक्ष में तय हो चुका है। प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि प्रार्थी की खातेदारीशुदा भूमि है। जिस बाबत यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जावेगी तो प्रार्थी को असुविधा होगी। जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में होना साबित होता है।
3. अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त :- साथ प्रकरण में प्रथम दृष्टवा मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है तो ऐसी स्थिति में यदि उक्त भूमि जो प्रार्थी की खातेदारीशुदा भूमि वाकत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने पर अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी। उपरोक्तानुसार उक्त तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

जिसके अनुसार प्रथम दृष्टवा मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त उक्त तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होना पाया जाता है।



[Handwritten Signature]
 21/09/23
विलीय सिंह
 सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
 श्रीमाधोपुर (सीकर)

आदेश

अतः ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्राथना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य पाए जाने पर प्राथना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार की जाती है तथा अप्रार्थीगण को मूल वादपत्र के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 7 रकबा 0.6400 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थी के कब्जे काशत में किसी प्रकार की गजाहमत नहीं करे एवं ना ही दीगर से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमोल दाखिल दफ्तर हो।



P. Singh
21/08/23

(दिलीप सिंह)

सहायक क्लर्क (फासिल डेप्युटी)

श्रीमाधोपुर (सीकर) (फासिल डेप्युटी)

श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 21.08.2023 को मेरे द्वारा

लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

P. Singh
21/08/23

(दिलीप सिंह)

सहायक क्लर्क (फासिल डेप्युटी)

श्रीमाधोपुर (सीकर)